आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 68/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2009-10

मे. श्री ओम इन्फ्रा, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-2(2), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीओएफएस 4928 जी		

आ.अ.सं. 588/इंदौर/2018
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्री पर्वेश गोथरवाल, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-3(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीटीपीजी 7400 एल		

आ.अ.सं. 155/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्रीमती मधु जैन, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-2(5), रेंज-2, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एजीएफपीजे 3581 जे		

आ.अ.सं. 165/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

मे. नितिन अग्रवाल अ.हि.कु., इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-2(3), रेंज -2, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएजीएचएन 1872 बी		

आ.अ.सं. 70/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्रीमती किरण टोंगिया, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-1(3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएक्यूपीटी 4231 एल		

आ.अ.सं. 827 / इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री महक टोंगिया, इंदौर	बनाम	आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एओसीपीटी 6248 आर		

अपीलार्थियों की ओर से	लिखित प्रतिवेदन
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	10.03.2021
उद्घोषणा तिथि	10.03.2021

आदेश

<u>न्यायपीठ द्वारा</u>

ऊपर दर्शित निर्धारण वर्षों से संबंधित अलग-अलग निर्धारितियों की उपरोक्त शीर्षकों की अपीलें आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षिप्त में आ.आ.(अ)) के अलग-अलग आदेशों के विरूद्ध दाखिल की गई हैं ।

2. उपरोक्त अपीलों के संबंध में निर्धारितियों द्वारा लिखित प्रतिवेदन दाखिल किए गए हैं जिनमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारितियों ने "विवाद से विश्वास योजना" में आवेदन किया है तथा योजना000000000 के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने के इच्छुक नही हैं । दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने कोई आपत्ति नहीं की है यदि इन अपीलों को कथित योजना के अंतर्गत दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है ।

3. उपरोक्त की दृष्टि में, हम निर्धारितियों द्वारा दाखिल इन अपीलों को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे यदि संबंधित निर्धारिती का इस योजना के उपभोग करने हेतु आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता है या संबंधित निर्धारिती किसी कारण से इस योजना में भाग नहीं ले पाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 10.03.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 10.03.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल